

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-200 / 2019

तारापद झा एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम और अन्य

..... विपक्षीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए :

श्री रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए :

श्री अतनु बहेरजी, सीनियर एस०सी०-III

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

3/12.04.2019 याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वह समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं कर सके और इस प्रकार, रिट याचिका को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। वह आगे कहता है कि उसने पहले ही त्रुटियों को दूर कर दिया है, जैसा कि कार्यालय द्वारा बताया गया था।

तदनुसार, इस याचिका की अनुमति है।

नतीजतन, डब्ल्यू०पी०एस० सं०-5112/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया०)